न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला दूदू

बइजलास :— गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 94/2021

1. श्रीमती दुर्गा देवी पुत्री स्व0 श्री छीगना धर्मपत्नि श्री जतनलाल, उम्र 52 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी केसरीसिंह पुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला दूदू हाल निवासी सलेमाबाद, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 ।
2. श्रीमती चन्दा देवी पुत्री स्व0 श्री छीगना धर्मपत्नि श्री श्रवण लाल, उम्र 70 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी केसरीसिंह पुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला दूदू हाल निवासी सलेमाबाद, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर, राज0 ।

(अपीलान्टस)

बनाम

1. छीतर दत्तक पुत्र स्व0 छीगना, उम्र 71 वर्ष, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू ।
2. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल जिला दूदू ।

(रेस्पोडेन्टस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आज्ञा तहसीलदार दूदू नामान्तरण संख्या 318 दिनांक 05.05.1990

1. श्री नारायण सहाय पारीक विद्वान अधिवक्ता, अपीलान्टस।
2. श्री संजय सिंह सिरोही विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

निर्णय दिनांक :— 25.11 .2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम केसरीसिंहपुरा पटवार हल्का महलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर में अवस्थित होकर मूल खातेदार छीगना पुत्र भूरा कौम बागडा ब्राह्मण के नाम दर्ज खसरा सं0 542/2 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा खसरा सं0 543 रकबा 02 बीघा 06 कुला किता 02 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा दर्ज रही जो पुश्तैनी आराजीयात होकर काबिज काश्त चले आ रहे थे। उनके दो पुत्रीयां ही थी जो अपीलांट सं0 1 व 2 है लेकिन उनके जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 को गोद पुत्र ले लिया था। उनके मृत्यु के उपरांत विरासत का नामांतरण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम प्रत्येक के 1/3—1/3—1—1/3 होना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेंट सं0 1 ने अभियान कैम्प महलां में अकेले अपने नाम गलत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

दर्ज करवा लिया। उपरोक्त आराजीयात में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का समान हक व हिस्सा निहित है। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने राजस्व कार कानूनों से सांठ गांठ कर केवल मात्र पूरी आराजीयात का एकमात्र वारिस बताते हुए नामान्तरण दर्ज करवा लिया जिसको कैम्प में वसीयत व गोदनामा के आधार पर दर्ज किया गया जबकि वसीयत व गोदनामा जैसे जटिल प्रश्नों का निर्धारण बिना अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य का अवसर दिए बिना नामन्तरण तस्दीक नहीं किया जा सकता था। उक्त नामान्तरण शुरू से ही गलत व अवैध है जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न ठोस आधारों पर प्रस्तुत ही है। तहसीदार महोदय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व विधि के विपरीत है। उक्त आदेश दिनांक 05.05.1990 पूर्णतः विधि विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक वारिसान की जांच किए नामान्तरण सं0 318 पारित कर दिया जो पूर्णतया गलत है जिसके आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई जबकि अपीलांट्स का बॉय बर्थ राईट उक्त आराजीयात में निहित है। तहसीलदार महोदय द्वारा इस बात पर भी गौर नहीं किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा जो आवेदन किया गया है वो दत्तक पुत्र की हैसियत से किया गया है। अगर अन्य वारिसान की जांच करते तो अपीलांट्स के नाम भी उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था, ऐसा नहीं होकर न्याय की मंशा व प्रावधानों को समझे बिना उक्त नियमों के विपरीत अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण सं0 318 खोलते समय वसीयत व गोदनामा के आधार पर नामान्तरण तस्दीक कर दिया जबकि ऐसे जटिल प्रश्न राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते है, इस प्रकार क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया है जो पूर्णतया गलत एवं अवैध है। यह कि अपीलाधीन निर्णय Against to Law & Perverse to Law होने से Abnitio void और शून्य एवं बातिल होने से खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोडेंट सं0 1 काफी चालाक एवं धूर्त किस्म का व्यक्ति है जिसने स्वयं को अपीलांटस के पिता छीगना का गोद पुत्र बताया तथा अपीलांटस का जिक्र तक नहीं कर फर्जी दस्तावेज बनाकर अपीलाधीन नामान्तरण अपने हक में तस्दीक करवाया है जो फर्जकारी दस्तावेज होने से स्वतः ही निरस्तनीय है। यह कि रेस्पोडेंट सं0 1 के मन में बदनियति होने से मिन अपीलांटस के पिता की सम्पत्ति को हडप करने के लिए जालसाजी तरीक से अपने नाम कृषि भूमि का नामान्तरण राजस्व कर्मचारियों से साज बाज करके तस्दीक करवाया तथा ग्राम महलां में राजस्व कैम्प में नामान्तरण बिना विधिक प्रकिया अपनाए तस्दीक करवा लिया जबकि उक्त नामान्तरण की सूचना प्रार्थीगण/अपीलांटस को कभी भी नहीं रही। उक्त नामान्तरण को तस्दीक करते समय पटवारी हल्का एवं तहसीलदार महोदय ने बिना विधिक वारिसान की जांच किए ही नामान्तरण सं0 318 तस्दीक कर दिया जो पूर्णतया गलत है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 जायन्दा भाई ना होकर गोद पुत्र की हैसियत से भाई है, उसका केवल उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा ही निहित होता है, परन्तु उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात को अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कानून की मंशा एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपील निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में खोला गया है जबकि राजस्व कैम्प में सभी पक्षकारों की सहमति हो तो ही प्रकरण का निस्तारण किया जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

सकता है अन्यथा राजस्व कैम्प में किसी भी प्रकार से गलत व अवैधानिक रूप से अनियमितता बरतते हुए प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किए एवं मौके की स्थिति को देखे बिना सही तौर अवलोकन नहीं किया तथा ना ही मौके की वास्तविक स्थिति व भौतिक स्थिति नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया जो निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्व कैम्प के समक्ष पटवारी हल्का से व ना ही ग्राम पंचायत द्वारा बिना सजरा प्रमाण पत्र प्राप्त किए अपीलांट के पीठ पीछे एकतरफा में नामान्तरण खोल दिया गया जिसका कानूनन कोई महत्व नहीं है। विधिक प्रावधानों के तहत तहसीलदार महोदय को पटवारी हल्का से सभी विधिक वारिसान की जांच करके मौके अनुसार व कब्जे अनुसार नामान्तरण तस्दीक करना चाहिए था ऐसा नहीं कर विधि के विपरीत जाकर नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर राजस्व अभियान कैम्प महलां दिनांक 05.05.1990 के नामान्तरण संख्या 318 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटस व रेस्पोडेंट सं0 1 प्रत्येक के हक में 1/3 हिस्सा दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई एवं अधिनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 07.06.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जा चुका है। पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश किया। रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाटंस के पिता छीगना की मृत्यु पश्चात् बिना विधिक वारिसान के जॉच किए बगैर रेस्पोडेंट 1 छीतर दत्तक पुत्र स्व0 छीगना के पक्ष में विरासत का नामांतरण तस्दीक कर दिया, जो गलत है। स्व0 छीगना के जायन्दा दो पुत्रियॉ जीवित है 1. श्रीमती दुर्गा देवी, 2. श्रीमती चन्दा देवी नामान्तरण संख्या 318 दिनांक 05.05.1990 गलत रूप से तस्दीक किया है बिना विधिक वारिसान की जॉच किए ही तस्दीक किया है, जो पूर्णतः गलत एवं विधि विरूद्व है। अप्रार्थी छीतर जो कि अपने आपको छीगना का दत्तक पुत्र बताते हुए आ रहा है, उसके पास न तो गोदनामा है व न ही दत्तक पुत्र है, अगर बुरी से बुरी स्थिति मानी भी जाये तो वह दत्तक पुत्र होने के नाते केवल मात्र 1/3 हिस्से की आराजी का हकदार हो सकता था, परन्तु सम्पूर्ण आराजी का मालिक व स्वामी गलत रूप से बना दिया गया। अपीलाटंस मूल खातेदार की जायन्दा पुत्रियॉ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्र एवं पुत्रियों का समान हिस्सा एवं हक प्राप्त है। इसलिए नामांतरण संख्या 318 दिनांक 05.05.1990 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाटंस के नाम नामान्तकरण स्वीकृत फरमाया जाने के आदेश फरमावें। वकील अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के समर्थन में हमारा ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टान्तों की ओर आकर्षित किया –

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

1. आर आर डी 2010 पी–405
2. आर आर डी 2002 पी 673
3. आर आर टी 2009 पी 381
4. आर आर टी 2003 (2) पी 870

वकील रेस्पोडेंट 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट ने उक्त अपील बिना किसी विधिक आधार के विवादित सम्पत्ति छीगना की पैतृक सम्पत्ति का अभिवचन करते हुए यह अपील पेश की, जबकि विवादित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है उक्त सम्पत्ति छीगना को सरकार द्वारा आवंटित है। उक्त सम्पत्ति में अपीलांट कानून सहदायिक भी नहीं है। अपीलांट का विवादित सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 6 व 8 के अनुसार कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं क्योंकि नामांतरकरण संख्या 318 वसियत के आधार पर खोला गया है। किसी भी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति वसियत करने का कानूनी अधिकार है। अपीलांटगण ने उक्त विवादित सम्पत्ति में अपने हिस्से बाबत् घोषणा खातेदारी का दावा सहायक जिलाधीश के अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रस्तुत कर रखा है जो सहायक जिलाधीश दूदू के समक्ष लम्बित है। उक्त दावे में विवाधक कायम किये जाकर साक्ष्य पक्षकारों की ली जाकर पक्षकारों के अधिकार तय होना शेष है। माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित अपील में अपीलांट के विधिक अधिकार व कब्जा तय नहीं हो सकते है जो भी विधिक अधिकार अपीलांट के है दावे में तय होंगे। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व उच्च न्यायालय राजस्थान ने समय–समय पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दावा अधिकारों को लेकर घोषणा का वाद न्यायालय में लंबित है तो नामांतकरण अपील कानूनन चलने योग्य नहीं जो खारिज किये जाने योग्य है इसलिए नामांतकरण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपील के पैरा न. 5 में अभिवचन में स्वीकार किया है कि वसीयत व गोदनामा के बारे में सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है तथा स्वंय अपीलान्ट ने भी उक्त गोदनाम व वसियतनामा को विवादित करते हुए वाद पत्र पेश कर रखा है इसलिए कानूनी आधार पर अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में छीगना द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसियत को अपीलांट ने आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चेलेंज नहीं किया है इसलिये उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है। रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर खोले गये नामांतरकरण संख्या 318 को निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योकि किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का विधिक अधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। अपीलांट ने प्रथम दृष्ट्या छीगना के वारिस होना भी साबित नहीं किया है। अपीलांटगण छीगना के उत्तराधिकारी है अन्य बिन्दू घोषणा के दावे में तय होंगे जो महत्तपूर्ण विवाधक है तथा विवाधक दावे में तय होते है, अपील में नहीं होते है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटस की अपील खारिज फममाई जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया –

1. आर आर टी 2020 (2) पेज 750
2. आर आर टी 2009 (2) पेज 816 से 818
3. 2021 0 Supreme (SC) 61

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 05.05.1990

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

को अप्रार्थी संख्या 01 के हक में वरीयत व गोदनागा का उल्लेख करते हुए स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से जाहिर है कि अपीलांट स्व. छीगना पुत्र भूरा की जायन्दा पुत्रीयां है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्रीयों को भी जन्म से पुत्र के समान अधिकारी गाना है। प्रकरण में स्व. छीगना पुत्र भूरा की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार करते समय स्व. छीगना पुत्र भूरा के विधिक वारिशान की समुचित जॉच नही किया जाना, एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 05.05.1990 वाके ग्राम केसरीसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मौजमाबाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर कानूनी प्रकियां अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मौजमाबाद को पालनार्थ प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू
दूदू

Scanned with OKEN Scanner